EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Operations)
Hajipur
Date: 09.06.2023

No.ECR/Optg. Safety/Circular/75/505

Sr. Divisional Operations Manager.
East Central Railway,
DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ

Sub: Operating Safety Instructions.
Ref: Member(O&BD)'Svc with all PCOMs of IR dated 08.06.2023

In reference to the above, following instructions are issued for strict compliance with immediate effect for ensuring safety in train operations.

1. Apart from the Relay Rooms, where double lock arrangement is already in place, there should be locking arrangement at each Relay Gumty/ Relay Hut as under:
 i. SM to purchase new locks from their cash imprest and all the keys (two/three/four) should be only with SM in his/her custody.
 ii Key should be handed over to SSE/JE or ESM after proper entry in the register to be maintained for this purpose and taken back after the maintenance work is over.
 iii. At the time of reconnection, correspondence test shall be done.
 iv. In the Reconnection Memo, the authorized Signaling personnel should certify that Correspondence test has been done and the memo must specifically mention that the designed condition of the gear has been restored back.
 v. Wherever possible, we may make use of digital locking arrangement similar to Howrah Division of Eastern Railway.
2. No through signal should be given for 1st Up and 1st Down train after reconnection. 1st Up and 1st Down trains after reconnection have to be stopped at home signal. Thereafter normal running to be restored.
3. All SMs have to be counseled to remain vigilant and alert to notice any kind of abnormality in the functioning of the panel, particularly during route setting and release, flashing of points, setting of points in single command etc. such abnormality should be immediately reported to the proper signaling authority and the divisional control for rectification.
4. Information of Disconnection/Reconnection allowed at Stations should be filled in COA by Section Controllers.

(Dr. Manoj Singh)
Pri. Chief Operations Manager

Copy to:

(1) Secy to GM- for kind information of GM.
(2) PCSO, PCSTE, PCE & PCEE-for kind information.
(3) DRMs-DNR, SPJ, DHN, SEE and DDU-for kind information& necessary action please.
(4) CFTM, CPTM, COM/G- for information.
(5) Principal/ZRTI/MFP- for information.

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक (परिचालन)
हाजीपुर।
जून 9, 2023

संख्या : पूमरे0 / परि0संरक्षा / नियम / 75 / 505

वरि.मंडल परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल
धनबाद, दानापुर, डीडीयू, सोनपुर एवं समस्तीपुर।

विषय : परिचालन सुरक्षा निर्देश।
संदर्भ : Member(O&BD)'Svc with all PCOMs of IR dated 08.06.2023

उक्त के संबंध में ट्रेन संचालन में संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तत्काल प्रभाव एवं कड़ाई से अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. रिले रूम के अलावा, जहां पहले से ही डबल लॉक की व्यवस्था है, प्रत्येक रिले गुमटी/रिले हट में निम्नानुसार लॉकिंग व्यवस्था होनी चाहिए:
 क. स्टेशन मास्टर अपने नकद अग्रदाय से नए ताले खरीदेगा और सभी चाबियां (दो/तीन/चार) केवल के स्टेशन मास्टर के पास उसकी निजी अभिरक्षा में होना चाहिए।
 ख. इस उद्देश्य के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में उचित प्रविष्टि के बाद चाबी एसएसई/जेई या ईएसएम को सौंप दी जानी चाहिए और रखरखाव कार्य समाप्त होने के बाद वापस ले ली जानी चाहिए।
 ग. पुन: संयोजन के समय, कॉरेस्पोंडेंस टेस्ट किया जाएगा।
 घ. रीकनेक्शन मेमो में, अधिकृत सिग्नलिंग कर्मियों को यह प्रमाणित करना चाहिए कि कॉरेस्पोंडेंस टेस्ट किया गया है और मेमो पर विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए कि गियर की पहले की स्थिति में वापस कर दिया गया है।
 ड. जहां भी संभव हो, पूर्व रेलवे का हावड़ा मंडल के अनुसार हम इसी तरह की डिजिटल लॉकिंग व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं।
2. पुन: संयोजन के बाद पहली अप और पहली डाउन ट्रेन के लिए थ्रू सिगनल नहीं दिया जायेगा। पुन: संयोजन के बाद पहली अप और पहली डाउन ट्रेनों को होम सिगनल पर रोका जायेगा होगा। उसके बाद सामान्य परिचालन बहाल किया जाएगा।
3. पैनल के कामकाज में किसी भी प्रकार की असामान्यता को नोटिस करने, विशेष रूप से रूट सेटिंग और रिलीज़ के दौरान पॉइंट्स के फ्लैसिंग, सिंगल कमांड में पॉइंट्स की सेटिंग आदि के लिए सभी स्टेशन मास्टर को सावधान और सतर्क रहने के लिए काउन्सलिंग किया जाना चाहिए, इस तरह के असामान्यता को सुधार/दूर करने के लिए तुरंत सिग्नल विभाग के सम्बंधित प्राधिकारी और मंडल के नियंत्रण कार्यालय को सूचित करें ।
4. स्टेशनों पर दिए गये डिशकनेक्शन/रिकनेक्शन की सूचना को सेक्शन कंट्रोलर द्वारा COA में भरा जायेगा ।

मनो सिं 9/6/23
(डॉ. मनोज सिंह)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक

प्रतिलिपि :
1. महाप्रबंधक के सचिव – महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुसंअधि, प्रमुसंएवंदूइं, प्रमुइं. एवं प्रमुबिइं. के सादर सूचनार्थ।
3. मंरेप्र. / दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु।
4. मुमाभाप्र, मुयापरिप्र, मुपरिप्र / सा. को सूचनार्थ।
5. प्राचार्य / क्षे.रे.प्र.सं. / मुज0 को सूचनार्थ।